प्रकरण क्रमांक **w0432019**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर–452003

आदेश क्रमांक 142/विउशिनिफो/इंदौर/19

प्रकरण क्रमांक **w0432019**

विषय :– व्यय अंकेक्षण की अवधि 2009–2014 तक की वसूली के विरूद्ध।

मेसर्स जेमिनी फूड एण्ड बेवरेजेस, ———परिवादी
प्रोप्रा.:– श्रीमती श्वेता भारत अरोरा,
एस.डी.ए. कम्पाउण्ड,
कैलोद हाला, इन्दौर
विरूद्ध
कार्यपालन य ंत्री (उत्तर) शहर सभांग, मप्रपक्षेविविकंलि. इन्दौर ———उत्तरदाता

आदेश
(आज दिनांक 31.07.2019 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से श्री व्ही.के.अरोरा उपस्थित।
विपक्ष म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. की ओर से श्री भूपेन्द्रसिंह, कार्यपालन यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :–

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि:–

01. यह कि मुझ आवेदिका श्रीमती श्वेता अरोरा के स्वर्गीय पति श्री भारत अरोरा द्वारा वर्ष 2010 में मेसर्स जेमिनी फुड एण्ड बेवरेजेस, एस.डी.ए. कम्पाउन्ड कैलोद हाला हेतु 60 एच.पी./आय.पी. कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था।

02. यह कि, तत्समय विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मेरे पति को अवगत कराया गया था कि आवेदित स्थल पर कनेक्शन हेतु विद्युत पोल एवं डी.पी. स्थापित नहीं है। अतः यदि आपके द्वारा स्वयं अपने व्यय से विद्युत पोल एवं डी.पी. लगवा ली जाती है तो विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर दिया जायेगा एवं कम्पनी को सप्लाय अफोर्डिंग की राशि का मात्र 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा।

03. यह कि मेरे पति द्वारा 5 विद्युत पोल एवं डी.पी. की स्थापना लगभग 5 लाख रूपये व्यय कर करवाई गई थी तथा विद्युत वितरण कम्पनी की सप्लाय अफोर्डिंग की राशि का 10 प्रतिशत राशि रू. 11595/– भी जमा करा दिये गये थे।

04. यह कि अनावेदक सहायक अभियंता के पत्र क्रमांक 300/स.य./मलझो/दिनांक 29.04.2019 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा सप्लाय अफोर्डिंग की अन्तर की राशि रू. 104355/– कम जमा करवाई गई है जिसे बिल में जोड़ा गया है। पत्र दिनांक 19.04.2019 एवं उसके साथ संलग्न सहपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

05. यह कि आवेदक द्वारा उसको बताये गये नियमानुसार सम्पूर्ण कार्य, 5 प्रतिशत सुपरविजन राशि जमा कर स्वयं के व्यय पर ट्रांसफार्मर एवं बडी लाईन की स्थापना कराई गई थी साथ ही झोन प्रभारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट जिसमें 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग चार्जेस भी मांगे गये थे, आवेदक द्वारा उक्त राशि का भुगतान किया गया था। अतः अब 9 वर्षों के उपरान्त आवेदक से सम्पूर्ण राशि की मांग की जा रही है जो कि न्यायोचित नहीं है साथ ही 9 वर्ष व्यतित हो जाने के कारण उपरोक्त मांग समय बाधित भी हो गई है।

06. यह कि आवेदक द्वारा स्थापित विद्युत पोल एवं डी.पी./ट्रांसफार्मर से विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अन्य कई प्रतिष्ठानों को भी विद्युत संयोजन प्रदान किया जा रहा है एवं इस प्रकार आय का उपार्जन किया जा रहा है।

07. यह कि उपरोक्त चरण 1 सें लगाकर 6 के सम्बंध में सभी आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण विद्युत वितरण कम्पनी की अभिरक्षा में सुरक्षित है।

अतः निवेदन है कि प्रकरण में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को प्रकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

आवेदक पर आरोपित की गई वसूली राशि रू. 104355/– को अपास्त किये जाने की कृपा हो।

दिनांक 27.06.2019 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त जवाबदावे में लेख किया कि :–

01. यह कि उपरोक्त प्रकरण में अनावेदक सहायक अभियंता द्वारा प्रतिउत्तर दिनांक 20.06.2019 प्रस्तुत किया गया है परन्तु इस प्रतिउत्तर में माननीय अपीलिय प्राधिकारी को यह अवगत नहीं कराया गया है कि प्रतिउत्तर में उल्लेखित प्राकलित राशि रू. 414530/– का व्ययभार अपीलकर्ता आवेदक द्वारा वहन किया गया है।

02. यह कि कार्यालय सहायक यंत्री, महालक्ष्मी झोन इन्दौर म.प्र. के पत्र दिनांक 20.06.2019 में यह उल्लेखित है कि मुझ आवेदक द्वारा दिनांक 04.02.2010 को आवेदित 60 एच.पी. औद्योगिक संयोजन 05 प्रतिशत सुपरविजन राशि प्रदान कर समस्त कार्य करने की सहमति प्रदान की गई थी।

03. यह कि जैसा कि मुझे बहस के दौरान ज्ञात हुआ कि प्रचलित नियम के अनुसार उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य म.प्र.विद्युत मण्डल द्वारा नवीन विकास योजना (न्यू डेव्हपमेंट स्कीम) के अन्तर्गत स्वयं किया जाना चाहिये था किन्तु यह खेद का विषय है कि मुझे गुमराह कर गलत जानकारी दी गई जिसके परिणामस्वरूप मुझे अनावश्यक रूप से राशि रू. 414530/– का व्ययभार वहन करना पड़ा जिससे कि मैं तत्समय बच सकती थी।

04. यह कि 60 एच.पी. हेतु सप्लाय अफोर्डिंग की राशि जो मुझे तत्कालीन झोन अधिकारी द्वारा रू. 11595/– बताई गई थी उसका सम्पूर्ण भुगतान मेरे द्वारा उसी समय कर दिया गया था, जिसका प्रमाण मेरे द्वारा मूल अपीलिय आवेदन में संलग्न किया गया है।

05. यह कि विगत 9 वर्ष के दौरान व्यापार में हानि होने के कारण मैंने उपरोक्त 60 एच.पी. संयोजन का लोड कम करवाकर 15 एच.पी. करवा लिया है एवं इसी दौरान मेरे पति की भी असामयिक मृत्यु हो जाने से मुझ अपीलिय आवेदक के पास आय अर्जित करने का कोई साधन भी नहीं है।

06. यह कि माननीय प्राधिकारी का ध्यान इस ओर भी प्रार्थित है कि उपरोक्त डी.पी. जिसका समस्त व्ययभार मेरे द्वारा वहन किया गया है तथा उससे विद्युत मण्डल द्वारा अन्य व्यक्तियों/उपक्रमों को भी विद्युत संयोजन प्रदान किया गया है और आय अर्जित की जा रही है।

07. यह कि संयोजन के 9 वर्ष पश्चात एकाएक मुझे रू. 104355/– की राशि को विद्युत बिल में जोड़कर भुगतान हेतु ओदशित किया जा रहा है जो कि किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। यह न तो नियमानुसार है और न ही मानवीय आधार पर देय है।

अतः माननीय प्राधिकारी से विनम्र निवेदन है कि या तो मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार वहन की गई राशि रू. 414530/– जो कि विद्युत मण्डल द्वारा स्वयं वहन की जानी थी मुझे वापस लौटाने हेतु आदेश प्रसारित करने की कृपा करें और इसी राशि में से सप्लाय अफोर्डिंग की राशि रू. 104355/– का कटौत्रा कर लिया जाये एवं माननीय प्राधिकारी उपरोक्त राशि रू. 104355/– की वसूली को निरस्त किये जाने के आदेश प्रसारित करने की कृपा करें।

दिनांक 30.07.2019 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त जवाबदावे में लेख किया गया कि व्यय अंकेक्षण की अवधि 2009–2014 तक की वसूली के विरूद्ध अपीलीय प्रकरण में सहायक अभियन्ता म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड महालक्ष्मी झोन, इन्दौर म.प्र. के पत्र क्रमांक 5690/स.य.म.ल.झोन/दिनांक 25.07.2019 का प्रतिउत्तर निम्नानुसार सादर प्रस्तुत :–

01. प्रतिवादी सहायक अभियंता द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.07.2019 में स्वयं यह स्वीकारोंक्ति प्रदान की है आवेदक उपभोक्ता ने 60 एच.पी. औद्योगिक कनेक्शन हेतु समस्त विद्युतकरण का कार्य स्वयं के व्यय पर किया है।

जहाँ तक प्रतिवादी का यह कथन कि इस हेतु उपभोक्ता ने सहमति भी प्रदान की थी के सम्बंध में निवेदन है कि चूंकि आवेदक को विद्युत संयोजन की अत्यन्त आवश्यकता थी। अतः उसने विद्युत मण्डल के अधिकारियों के दबाव में विद्युत मण्डल द्वारा किये जाने वाले कार्यो का व्यय अपने व्यय पर करवाने हेतु सहमति प्रदान की थी परन्तु इसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता कि आवेदिका विद्युत मण्डल से उसके द्वारा किये गये व्यय की गई राशि रू. 414530/– की प्रतिपूर्ति प्रतिवादी विद्युत कम्पनी से प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इस सम्बंध में यह भी उल्लेखनीय है कि विधि के स्थापित सिद्धांतो के अनुसार किसी नियम विरूद्ध कार्य के लिए सम्बंधित से सहमति प्राप्त कर भी ली जाती है तो ऐसी सहमति का कोई वैधानिक महत्व नहीं होता एवं विधि के विचारण में ऐसी सहमति स्वयं शून्य हो जाती है।

02. आवेदिका द्वारा अपने व्यय से स्थापित निम्नदाब संयोजन हेतु जो मशीन उपकरण स्थापित करवाये गये है उनसे प्रतिवादी विद्युत कम्पनी द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी संयोजन प्रदान किया गया है। अतः प्रतिवादी कम्पनी द्वारा जो वसूली आवेदिका की ओर निकाली गई है उसे प्रतिवादी द्वारा समस्त उपयोगकर्ताओं से मिलकर वसूल किया जाना चाहिये परन्तु विद्युत कम्पनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

03. विद्युत मण्डल के अधिकारियों के कथन अनुसार ही आवेदिका द्वारा सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की राशि रू. 115900/– की 10 प्रतिशत राशि जमा कराई जा चुकी है।

04. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 25.07.2019 में उल्लेख किया गया है कि 4.2.3 सी. के अनुसार जहाँ बहुमंजिला भवन या शॉपिंग मॉल हो एवं जिनमें एक से अधिक कनेकशन हो और कुल भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो तो भार का आंकलन प्लॉट दुकान की साईज के अनुसार ली जाती है और सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज का 10 प्रतिशत लिया जाता है।

इस सम्बंध में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि जिस डी.पी. एवं पोल को आवेदिका द्वारा स्वयं के व्यय से स्थापित कराया गया है उसी से प्रतिवादी बिजली कम्पनी द्वारा अनेक उपभोक्ताओं को संयोजन प्रदान किये गये है। अतः नियम 4.2.3 सी इस प्रकरण में भी लागू होता है एवं आवेदिका उत्तरदायित्व मात्र 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज का बनता है जो उसके द्वारा पूर्व में ही जमा करवा दिया गया है।

विपक्ष का कथन :–

विपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में लेख किया गया है कि उपभोक्ता द्वारा 2010 में 60 एच.पी. औद्योगिक कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था जिसमें वसूली का एक्सपेनसेस 2009 के तहत सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की राशि रू. 115990/– जमा किये जाना थे जबकि उपभोक्ता द्वारा सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज का केवल 10 प्रतिशत ही जमा किया गया था। अतः सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की अन्तर राशि रू. 104355/– जमा करने हेतु व्यय अंकेक्षण टीम द्वारा 2009 – 14 में वसूली हेतु डिमाण्ड खड़ी की गई थी। जिसकी वसूली हेतु उपभोक्ता के बिल में उक्त राशि जोड़ दी गई थी जिसका भुगतान उपभोक्ता को करना चाहिए।

विपक्ष द्वारा दिनांक 13.06.2019 को प्रस्तुत जवाबदावे में लेख किया गया कि फोरम द्वारा पिछली सुनवाई में निर्देशित किया गया था कि उपभोक्ता में जेमिनी फूडस एण्ड बेवरेज एस.डी.ए. कम्पाउण्ड कैलोद हाला की कनेक्शन फाईल उपलब्ध कराई जाये इसी तारतम्य में पत्र क्रमांक 383 दिनांक 30.05.2019 को कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) इन्दौर को फाईल उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया था। किन्तु उक्त कार्यालय द्वारा मौखिक रूप से पुरानी फाईल (2010) का हवाला देते हुए फाईल देने में असमर्थता जताई किन्तु भार स्वीकृति रजिस्टर में उक्त कनेक्शन की दर्ज की गई जानकारी की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई।

चूंकि उपभोक्ता द्वारा औद्योगिक कनेक्शन की मांग की गई थी। अतः सप्लाय अफोर्डिंग की शत–प्रतिशत राशि जमा करना नियमतः उचित है। मल्टी युजर कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल में 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग की राशि जमा कराने का प्रावधान है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त तर्को को ध्यान रखते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

विपक्ष द्वारा दिनांक 20.06.2019 को प्रस्तुत अतिरिक्त जवाबदावे में लेख किया कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 04.02.2010 में 60 एच.पी. औद्योगिक कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था जिसमें उपभोक्ता द्वारा 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज की राशि जमा कर समस्त कार्य ''अ'' श्रेणी विद्युत

ठेकेदार से कार्य करवाने का सहमति पत्र दिया गया था। सहमति पत्र प्रदान करने के बाद राशि रू. 414530/– का प्राक्कलन मांगलिया वितरण केन्द्र द्वारा बनाया गया था जिसकी स्वीकृति उच्च कार्यालय द्वारा प्राप्त करने के उपरान्त समस्त कार्य ''अ'' श्रेणी विद्युत ठेकेदार श्री मनीष बासाणी, लाईसेंस क्रमांक 23/2 द्वारा सम्पादित किया गया। विधिवत चार्जिंग परमिशन 63 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर की एवं वारंटी सर्टिफिकेट देने के उपरान्त कनेक्शन चालू किया गया था।

उपभोक्ता द्वारा दिनांक 12.03.2010 को निम्न राशि जमा कराई गई थी। SAC :- 11595.00/ ESD :-31200.00/ Sup Ch. 19973.00/ Service tax :- 2059.00/ Stamp :- 101.00 Total Amount 64928.00 Receipt No. 3245X200 के द्वारा जमा की गई थी। 60 एच.पी. की सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की राशि 115950/– जमा की जाना थी किन्तु उपभोक्ता द्वारा 11595/– जमा की गई है। सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की अन्तर राशि रू. 104355/– जमा करने हेतु व्यय अंकेक्षण टीम द्वारा 2009 – 14 में वसूली हेतु निकाली गई थी जिसकी वसूली हेतु उपभोक्ता के बिल में उक्त राशि जोड़ दी गई थी, जिसका भुगतान उपभोक्ता को करना चाहिए।

विपक्ष द्वारा अंतिम सुनवाई दिनांक 25.07.2019 को प्रस्तुत अतिरिक्त जवाबदावे में लेख किया कि उपभोक्ता मेसर्स जेमिनी फूड एण्ड बेवरेजेस प्रोप्रा. श्रीमती श्वेता अरोरा का पत्र दिनांक 27.06.2019 का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि उपभोक्ता ने 60 एच.पी. औद्योगिक कनेक्शन हेतु समस्त विद्युतीकरण का कार्य स्वयं के व्यय पर किया है जिस हेतु उपभोक्ता ने सहमति भी प्रदान की थी। उक्त कार्य में 11 के.व्ही. लाईन 0.160 के.एम. एवं 63 के.व्ही.ए. 11/0.4 के.व्ही. ट्रांसफार्मर 1 नम्बर सम्मिलित है जिसका कुल व्यय 414530/– था इसकी सुपरविजन राशि (5 प्रतिशत) 19973/– उपभोक्ता ने जमा की थी एवं समस्त कार्य ''अ'' श्रेणी विद्युत ठेकेदार श्री मनीष बासाणी, लाईसेंस क्रमांक 23/2 द्वारा सम्पादित किया गया जिसकी टेस्ट रिपोर्ट प्रति आवेदन के साथ संलग्न पाई गई।

रिकव्हरी का एक्सपेनसेस 2009 के नियमानुसार उपभोक्ता से सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की राशि रू. 115950/– जमा कराये जाना था किन्तु उक्त राशि का मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा कराई गई। सप्लाय अफोर्डिंगचार्ज की अन्तर राशि रू. 104355/– जमा करने हेतु व्यय अंकेक्षण टीम द्वारा 2009 – 14 में वसूली हेतु निकाली गई थी जो कि पूर्णतः नियमानुसार है।

प्रचलित नियमानुसार रिकव्हरी का एक्सपेनसेस 2009 4.2.2 सी के अनुसार सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज जो कि उपभोक्ता से लिया जाना चाहिए था वह राशि रू. 115950/– है।

ऐसा कही भी उल्लेखित नहीं है कि अगर कोई उपभोक्ता 5 प्रतिशत सुपरविजन में विद्युतीकरण का कार्य करता है तो उससे 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की राशि ली जाना चाहिए। नियम क्रमांक 4.2.3 सी के अनुसार जहाँ बहुमंजिला भवन या शॉपिंग मॉल हो एवं जिनमे एक से अधिक कनेक्शन हो और कुल भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो (भार का आंकलन प्लॉट/दुकान की साईज के अनुसार ली जाती है और सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज का 10 प्रतिशत चार्ज लिया जाता है। चूंकि आवेदक उपरोक्त श्रेणी में नहीं आता है (60 एच.पी./आई.पी.) अतः उपभोक्ता से सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की पूर्ण राशि नियम क्रमांक 4.2.2 सी के अनुसार वसूलना उचित रहेगा।

विपक्ष द्वारा जवाबदावे के साथ परिवादी का सहमति पत्र, अनुबंध पत्र, स्टीमेंट, भार स्वीकृति रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत की।

विधिक प्रावधान :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 के अध्याय 4 की कण्डिका 4.2.2 सी :–

(स) वितरण अनुज्ञप्तिधारी वैयक्तिक गैर–घरेलू, औद्योगिक उपभोक्ता तथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, से विनियम 4.2.2 (अ) में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य प्रभारों तथा अधो–संरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा :

स. क्र	मांग किया गया भार (**Requisitioned Load**)	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर (आवेदन पत्र की लागत, अनुबंध शुल्क तथा प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर)
i	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 300/– प्रति किलोवॉट अथवा उसका कोई अंश
ii	3 किलोवॉट (तीन फेस) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 900 + रू. 900 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 3 किलोवाट से अधिक हो
iii	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 7,200 + रू. 2,250 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार 10 किलोवाट से अधिक हो
iv	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 75किलोवॉट से अनाधिक	रू. 40,950 + रू0 3750 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार 25 किलोवाट से अधिक हो

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :–

प्रकरण में पाया गया कि परिवादी का मेसर्स जेमिनी फूड एवं बेवरेजेस के नाम से निम्नदाब श्रेणी का 60 एच.पी. का औद्योगिक श्रेणी का संयोजन था जो कि वर्तमान में लोड कम करवाकर 15 एच एच.पी. का है। परिवादी ने बताया कि विपक्ष के निर्देशानुसार उसने नये संयोजन हेतु 05 विद्युत पोल एवं डी.पी. की स्थापना के लिए लगभग 5 लाख रूपये व्यय कर लगवाये थे एवं सप्लाय अफोर्डिंग राशि का 10 प्रतिशत राशि रू. 11595/– भी जमा कर दिये थे। इसके बावजूद विपक्ष द्वारा सप्लाय अफोर्डिंग की अन्तर राशि रू. 104355/– जो कि कम जमा करवाई गई थी उसे बिल में जोड़ा गया है। 09 वर्षों के उपरान्त परिवादी से उपरोक्त राशि की मांग की जा रही

है। वह न्यायोचित नहीं है एवं मांग समय बाधित भी हो गई है। अतः फोरम से अनुरोध है कि आरोपित की गई वसूली राशि रू. 104350/– को अपास्त किये जाने की कृपा करें। परिवादी ने अपने अतिरिक्त तर्क में फोरम को यह भी बताया कि 4.2.3 सी. के अनुसार जहाँ बहुमंजिला भवन या शॉपिंग मॉल हो एवं जिनमें एक से अधिक कनेक्शन हो और कुल भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो तो भार का आंकलन प्लॉट दुकान की साईज के अनुसार ली जाती है और सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज का 10 प्रतिशत लिया जाता है। इस सम्बंध में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि जिस डी.पी. एवं पोल को आवेदक द्वारा स्वयं के व्यय से स्थापित कराया गया है उसी से प्रतिवादी बिजली कम्पनी द्वारा अनेक उपभोक्ताओं को संयोजन प्रदान किये गये है। अतः नियम 4.2.3 सी इस प्रकरण में भी लागू होता है एवं आवेदक उत्तरदायित्व मात्र 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज का बनता है जो उसके द्वारा पूर्व में ही जमा करवा दिया गया है। परिवादी ने यह भी कथन किया कि ट्रांसफार्मर एवं 11 के.व्ही. लाईन विस्तार का कार्य विपक्ष द्वारा नॉर्मल डेवलपमेंट योजना अन्तर्गत किया जाना था। अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में माननीय फोरम से विनम्र प्रार्थना है कि प्रतिवादी विद्युत कम्पनी से आवेदिका द्वारा व्यय किये गये रू. 414530/– वापस दिलवाये जाये एवं अंकेक्षण टीप के परिप्रेक्ष्य में यदि राशि 104355/– की वसूली की जाना हो तो उस राशि का कटौत्रा आवेदिका को भुगतान की जाने वाली राशि रू. 414530/– में से कर लिया जावे।

विपक्ष ने बताया कि परिवादी ने 60 एच.पी. औद्योगिक कनेक्शन हेतु आवेदन किया था जिसमें विद्युतीकरण के कार्य हेतु 11 के.व्ही. लाईन 0.160 किलोमीटर एवं 63 के.व्ही.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया जाना था जिसका कुल व्यय प्राक्कलन राशि रू. 414530/– था। विपक्ष ने यह भी बताया कि परिवादी द्वारा दिनांक 04.02.2010 में 60 एच.पी. औद्योगिक कनेक्शन हेतु आवेदन दिया जिसमें उपभोक्ता द्वारा 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज की राशि जमा कर समस्त कार्य 'अ' श्रेणी विद्युत ठेकेदार से करवाने का सहमति पत्र दिया था। सहमति पत्र प्रदान करने के बाद राशि रू. 414530/– का प्राक्कलन बनाया गया था एवं परिवादी द्वारा दिनांक 12.03.2010 को निम्न राशि जमा कराई गई थी। SAC :- 11595.00/ ESD :-31200.00/ Sup Ch. 19973.00/ Service tax :- 2059.00/ Stamp :- 101.00 Total Amount 64928.00 Receipt No. 3245X200 के द्वारा जमा की गई थी। 60 एच.पी. की सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की राशि 115950/– जमा की जाना थी किन्तु उपभोक्ता द्वारा 11595/– जमा की गई है। सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की अन्तर राशि रू. 104355/– जमा करने हेतु व्यय अंकेक्षण टीम द्वारा 2009 – 14 में वसूली हेतु निकाली गई थी जिसकी वसूली हेतु उपभोक्ता के बिल में उक्त राशि जोड़ दी गई थी, जिसका भुगतान उपभोक्ता को करना चाहिए। प्रचलित नियमानुसार रिक्वहरी का एक्सपेनसेस 2009 4.2.2 सी के अनुसार सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज जो कि उपभोक्ता से लिया जाना चाहिए था वह राशि रू. 115950/– है।

प्रकरण में पाया गया कि रेग्युलेशन में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अगर कोई उपभोक्ता 5 प्रतिशत सुपरविजन में विद्युतीकरण का कार्य करता है तो उससे 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की राशि ली जाना चाहिए। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 के अध्याय 4 की कण्डिका 4.2.3 सी के अनुसार जहाँ

बहुमंजिला भवन या शॉपिंग मॉल हो एवं जिनमे एक से अधिक कनेक्शन हो और कुल भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक हो (भार का आंकलन प्लॉट/दुकान की साईज के अनुसार ली जाती है और सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज का 10 प्रतिशत चार्ज लिया जाता है। चूंकि आवेदक उपरोक्त श्रेणी में नहीं आता है (60 एच.पी./आई.पी.) अतः उपभोक्ता से सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की पूर्ण राशि नियम क्रमांक 4.2.2 सी के अनुसार वसूलना उचित रहेगा।

उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी द्वारा विपक्ष को लिखित सहमति देने के बाद ही विपक्ष द्वारा मांग पत्र जिसमें 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेस एवं अन्य चार्जेस शामिल है, परिवादी से जमा करवाये गये एवं समस्त कार्य 'अ' श्रेणी विद्युत ठेकेदार द्वारा सम्पादित किया गया। अन्य चार्ज में 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज राशि रू. 11595/– भी शामिल है। विधिक प्रावधान में उल्लेखित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 की कण्डिका 4.2.2 सी के अनुसार 60 एच.पी. औद्योगिक संयोजन की सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की राशि रू. 115950/– जमा किये जाने थे किन्तु विपक्ष ने मांग पत्र में सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज राशि रू. 115950/– का 10 प्रतिशत अर्थात राशि रू. 11595/– ही जमा करवाये। अतः अंकेक्षण टीम द्वारा वर्ष 2009–2014 में निकाली गई अन्तर राशि रू. 104353/– जिसे परिवादी के बिल में जोड़ा गया है। परिवादी को उक्त राशि विधिक प्रावधान की कण्डिका 4.2.2 सी के अनुसार जमा करना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि रेग्युलेशन में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि कोई उपभोक्ता 5 प्रतिशत सुपरविजन में विद्युतीकरण कार्य करता है तो उससे 10 प्रतिशत सुपरविजन की राशि ली जाना चाहिए। रेग्युलेशन की कण्डिका 4.2.2 सी के अनुसार जहाँ बहुमंजिला भवन या शॉपिंग मॉल हो जिसमें एक से अधिक कनेक्शन हो, कुल भार 50 किलोवॉट से अधिक हो तो सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज का 10 प्रतिशत चार्ज लिया जाता है परन्तु परिवादी उपरोक्त श्रेणी में नहीं आता है। अतः परिवादी से सप्लाय अफोर्डिंग चार्ज की पूर्ण राशि में से पूर्व में जमा की गई 10 प्रतिशत राशि के अन्तर की राशि विधिक प्राधान में उल्लेखित कण्डिका 4.2.2 सी के अनुसार वसूलना उचित रहेगा।

प्रकरण में विपक्ष द्वारा नये संयोजन हेतु औपचारिकताएँ पूर्ण करते समय विधिक प्रावधान की कण्डिका 4.2.2 सी के अनुसार सम्पूर्ण देय सप्लाय अफोर्डिंग राशि जमा करवाई जाना चाहिये थी लेकिन विपक्ष ने 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग राशि ही जमा कराते हुए परिवादी को भ्रमित किया एवं नियमों का पालन नहीं किया। इस सम्बंध में प्रचलित म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता का पालन सुनिश्चित करने एवं नियमों का उल्लंघन न करने हेतु मैदानी अधिकारियों को उचित दिशा–निर्देश जारी किया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :–

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :–

01. परिवादी का परिवादी अस्वीकार किया जाता है।

02. अभिमत में उल्लेखानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के

प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 के अध्याय 4 की कण्डिका 4.2.2 सी के अनुसार अंकेक्षण टीम द्वारा वर्ष 2009–14 में सप्लाय अफोर्डिंग की जो अन्तर राशि की विपक्ष द्वारा मांग की गई, वह परिवादी द्वारा विपक्ष के कार्यालय में जमा की जावे।

03. प्रकरण में विपक्ष द्वारा नये संयोजन हेतु औपचारिकताएँ पूर्ण करते समय विधिक प्रावधान की कण्डिका 4.2.2 सी के अनुसार सम्पूर्ण देय सप्लाय अफोर्डिंग राशि जमा करवाई जाना चाहिये थी लेकिन विपक्ष ने 10 प्रतिशत सप्लाय अफोर्डिंग राशि ही जमा कराते हुए परिवादी को भ्रमित किया एवं नियमों का पालन नहीं किया। इस सम्बंध में प्रचलित म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता का पालन सुनिश्चित करने एवं नियमों का उल्लंघन न करने हेतु मैदानी अधिकारियों को उचित दिशा–निर्देश जारी किया जावे।

उपरोक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(एन.एस.मण्डलोई),	(डी.के.पुरोहित),	(व्ही.के.गोयल),
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष